न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

निग 2548-I/16

प्र.क्र. 2016 निगरानी

गिरधारी अहिरवार पुत्र श्री छविलाल अहिरवार
निवासी–ग्राम कैड़ी तहसील व जिला छतरपुर
........आवेदक

बनाम

मोतीलाल विश्वकर्मा पुत्र गोरेलाल विश्वकर्मा
निवासी–कैड़ी, जिला छतरपुर ....अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू – राजस्व संहिता 1959 के तहत विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमाक 4–अ–89/अ–9/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.06.2016

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अनावेदक मोती विश्वकर्मा एक झूठी एवं मनगढंत शिकायत कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश की गई लगभग 08 माह पूर्व आवेदक से 5000/–रूपये गरीबी रेखा का राशनकार्ड बनवावने के लिये गये थे रूपये की राशि धरमदास प्रजापति एवं बृजेन्द्र सिंह के सामने दिये गये जो कि पूर्णतः गलत एवं बनावटी है जिस पर से कलेक्टर महोदय से अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4–अ/89–अ–9/2015–2016 दिनांक 01.06.2016 को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिस नोटिस के पालन में आवेदक द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार सभी दस्तावेजों को संलग्न करते हुये लिखित में दिनांक 24.06.2016 को जबाब पेश किया गया।

2. यहकि, आवेदक द्वारा पेश किऐ जबाब में से प्रतिपरीक्षण न किया जाकर अन्य व्यक्तियों के कथन किये गये जो कि उक्त प्रकरण में उनका कोई भी हित नहीं है उसके बाबजूद भी उनका कथन कराये जा रहे है एवं आवेदक को झूठे प्रकरण में फसाया जाकर उक्त ग्राम पंचायत कैड़ी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निग0 2548–एक/16 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.9.16.	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील जादौन एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर प्रस्तुत आपत्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । 2/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत की गई कार्यवाही से संबंधित है । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 40(1) (क) के तहत आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की है । उक्त अधिनियम के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । ऐसी स्थिति में अनावेदक की ओर से प्रकरण की प्रचलनशीलता पर प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त की जाती है । 3/ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जाये । सदस्य	